

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 1801 / 14-1, दिनांक: हाथरस: दिसम्बर: 21, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/44699/2020

सन्दर्भ:-

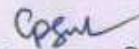
आपका पत्रांक 1748 / 14-1 दिनांक 08.12.2021

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव के साथ विषय सूची संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ विषय सूची संलग्न कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों में पेज संख्या अंकित नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों में पेज संख्या अंकित कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव के साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में यूजर एजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं है। संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संरक्षित वन भूमि में बाधक वृक्षों की संख्या 10 अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव के भाग-2 में बाधक वृक्षों की संख्या शून्य दर्शायी गयी है।	प्रस्ताव के साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में यूजर एजेन्सी के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं। संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संरक्षित वन भूमि में बाधक वृक्षों की संख्या 0 अंकित कर दी गयी है। तथा प्रस्ताव के भाग-2 में बाधक वृक्षों की संख्या शून्य है।
4	यूजर एजेन्सी द्वारा जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव दिया गया है। आपके सन्दर्भित पत्र में जनपद-हाथरस में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा अलीगढ़ हाथरस मार्ग कि०मी० 03 खसरा संख्या-10 ग्राम मीतई, तहसील हाथरस, जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव का उल्लेख है।	यूजर एजेन्सी द्वारा जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव दिया गया है तथा सन्दर्भित पत्र में भी उपरोक्तानुसार संशोधन कर दिया गया है।

भवदीय,


(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 1801

/ 14-1, समदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० संजय प्लेस आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।